"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2014— ज्येष्ठ 2, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2014

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2013. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) पृष्ठ क्रमांक 118 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/आठ-अनुवाद/2013, दिनांक 1 फरवरी, 2014 में, नियम 55-ग की तालिका-दो में, "3456" विलोपित पढ़ा जाये.

CORRIGENDUM

क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2013. —In TABLE-II of rule 55-C, in the Notification No. F 5-9/viii-Trans/2013, dated 1st February, 2014 issued under the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994 as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) at page number 118, read "3456" as omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.